



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 5 अगस्त, 2021

श्रावण 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या 1537/ई-1/तेरह-21-499(20)-98 टी0सी0

लखनऊ, 5 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-53

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, झाड़वर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा

(छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 15 का
प्रतिस्थापन

स्तम्भ-एक**विद्यमान नियम**

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15-आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी :

परन्तु यह कि चयन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 में यथा विद्यमान शारीरिक परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गये उपबन्ध भी सम्मिलित किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि यदि किसी समय आबकारी सिपाही का पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 2014) की धारा 2 के परन्तुक के अधीन आयोग की परिधि के बाहर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेवा में आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 में दी गयी है।

स्तम्भ-दो**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

15 (1)-सेवा में आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

(2) विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रभावी आरक्षण नियमों के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, लम्बी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो सहित निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होंगे :-

पुरुष अभ्यर्थियों के लिये	
(क) दौड़-कुल दूरी 4.8 कि०मी०	समय 30 मिनट
(ख) लम्बी कूद	दूरी 15 फुट
(ग) क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी 61 मीटर

महिला अभ्यर्थियों के लिये	
(क) दौड़-कुल दूरी 200 मीटर	समय 52 सेकण्ड
(ख) लम्बी कूद	दूरी 08 फुट
(ग) क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी 12 मीटर

(3) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थी आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रभावी आरक्षण नियमों के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर चयनित किये जायेंगे और चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

3-उक्त नियम 20 के पश्चात नया नियम 20 क बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात् :-

नियम 20 क
का बढ़ाया
जाना

सिपाहियों और ताड़ी पर्यवेक्षकों को उनके गृह जिला को छोड़कर उत्तर प्रदेश के किसी तैनाती जिला में विभाग की किसी इकाई में तैनात किया जा सकता है।

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 22 का
प्रतिस्थापन

स्तम्भ-एक

विद्यमान नियम

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, झाड़वर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (पाँचवां संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-

वेतनमान

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैंड का नाम	तत्सदृश वेतन बैंड(रु०)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु०)
(1) आबकारी सिपाही	वेतन बैंड 1	5200-20200	1900/-
(2) प्रधान आबकारी सिपाही/ताड़ी पर्यवेक्षक	वेतन बैंड 1	5200-20200	2000/-

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन मैट्रिक्स	लेवल
(1) आबकारी सिपाही	19900-63200	लेवल-2
(2) प्रधान आबकारी सिपाही/ताड़ी पर्यवेक्षक	21700-69100	लेवल-3

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1537/E-1/XIII-21-499(20)-98T.C., dated August 5, 2021:

No. 1537/E-1/XIII-21-499(20)-98 T.C.

Dated Lucknow, August 5, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in Supersession of all existing rules and orders on the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise Constables, Drivers and Tari Supervisors Service Rules, 1983.

THE UTTAR PRADESH EXCISE CONSTABLES AND TARI SUPERVISORS SERVICE (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise Constables and Tari Supervisors (Sixth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 15

2. In the said rules *for* existing rule 15 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing Rule

Procedure for direct recruitment

15. Direct recruitment to the post of Excise Constable in the Service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015:

Provided that the procedure to be adopted in making selection, the provisions regarding the physical test as existed in the Uttar Pradesh Excise Constables, Drivers and Tari Supervisors (Fourth Amendment) Rules, 2008 shall also be included:

Provided further that if at any point of time the post of Excise Constable is withdrawn from the purview of the commission under the proviso to section 2 of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission Act, 2014 (U.P. Act, no. 20 of 2014) then in such situation the procedure for direct recruitment to the post of Excise Constable in the Service shall be the same as laid down in the Uttar Pradesh Excise Constables, Drivers and Tari Supervisors (Fourth Amendment) Rules, 2008.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

15. (1) Direct recruitment to the post of Excise Constable in the Service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

(2) In the light of effective reservation rules for various categories, sufficient number of eligible candidates will be invited by the Commission for physical efficiency test. Physical efficiency test shall be of qualifying nature. The physical efficiency test shall comprise of running, long jump and cricket ball throw with following details :-

For Male Candidates	
(a) Running- Total distance 4.8 Kilometer	Time 30 minute
(b) Long Jump	Distance 15 feet
(c) Cricket Ball Throw	Distance 61 Meter

For Female Candidates	
(a) Running- Total distance 200 meter	Time 52 seconds
(b) Long Jump	Distance 08 feet
(c) Cricket Ball Throw	Distance 12 Meter

COLUMN-1

Existing Rule

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(3) The candidates found qualified in the Physical efficiency test shall be selected by the commission on the basis of merit on the basis of marks obtained in written test in the light of effective reservation rules for various categories and the list of selected candidates shall be sent to the appointing authority.

3. In the said rule 20 the new rule 20 A shall be *inserted*, namely :-

Insertion of Rule 20 A

The constables and tari supervisors may be posted in any unit of the department in Posting any district of Uttar Pradesh except their home district.

4. In the said rules *for* rule-22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall *substituted*, namely:-

Substitution of rule 22

COLUMN-1

Existing Rule

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Excise Constables, Drivers and Tari Supervisors Service (Fifth Amendment) Rules, 2016 are given as follows :-

Name of posts	Scale of pay		
	Name of pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1) Excise Constable	Pay Band-1	5200-20200	1900/-
(2) Head Excise Constable/ Tari Supervisor	Pay Band-1	5200-20200	2000/-

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Excise Constables and Tari Supervisors Service (Fifth Amendment) Rules, 2020 are given as follows:-

Scales of Pay

Name of posts	Scale of pay	
	Pay Matrix	Level
(1) Excise Constable	19900-63200	Level-2
(2) Head Excise Constable/ Tari Supervisor	21700-69100	Level-3

By order,

SANJAY R. BHOOSREDDY,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 227 राजपत्र-2021-(455)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 7 सा० आबकारी-2021-(456)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।